भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2129

दिनांक 04.08.2022 को उत्तर के लिए

भारत में ई-अपशिष्ट

2129. श्री जी. सी. चंद्रशेखर :
श्री नीरज डांगी :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2019 से अब तक उत्पन्न ई-अपशिष्ट की वर्ष-वार मात्रा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने देश में ई-अपशिष्ट उत्पादन और स्वास्थ्य और पर्यावरण पर इसके भावी प्रभाव को समझने के लिए सर्वेक्षण कराया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने ई-अपशिष्ट के उचित निपटान के महत्व के बारे में जनता को सूचित करने के लिए किसी जागरूकता कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं? ;

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क) वित्तीय वर्ष 2018-19 और 2019-20 के दौरान ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 के तहत अधिसूचित इक्कीस (21) प्रकार के विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों (ईईई) से देश में उत्पन्न कुल ई-अपशिष्ट की मात्रा नीचे दी गई है :

वित्तीय वर्ष	सृजित ई-अपशिष्ट (टन)
2018-19	7,71,215.00
2019-20	10,14,961.21

(ख) और (ग) अधिसूचित ईईई के बिक्री डाटा और औसत जीवन के आधार पर ई-अपशिष्ट के उत्सर्जन का आकलन किया जा रहा है। वर्ष 2016-17 के दौरान केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) पर एक विशेषज्ञ समिति के माध्यम से उद्योग और क्षेत्र विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ईईई के औसत जीवन का आकलन किया गया है। विशेषज्ञ समिति ने ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 के कार्यान्वयन पर दिशा-निर्देशों को तैयार किया जिसमें ई-अपशिष्ट की उत्पत्ति का अनुमान लगाने की विधि भी शामिल है। वर्तमान तथा भविष्य में ई-अपशिष्ट की उत्पत्ति का अनुमान के लिए इस विधि का उपयोग किया जा सकता है। उक्त नियमों के अनुसार, अधिसूचित ईईई निर्माताओं को उनके द्वारा बेचे गए ईईई के वार्षिक बिक्री डाटा को प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। निर्माता, सीपीसीबी को राष्ट्रीय स्तर के बिक्री डाटा उपलब्ध करा रहे हैं, जिसके आधार पर राष्ट्रीय स्तर पर ई-अपशिष्ट की उत्पत्ति का आकलन किया जा रहा है।

स्वास्थ्य और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए, सीपीसीबी ने ई-अपशिष्ट के पर्यावरण अनुकूल परिवहन, भण्डारण, नवीकरण, विखंडन, पुनर्चक्रण तथा अंतिम निपटान के संबंध में उक्त दिशा-निर्देशों को तैयार किया गया है। इन दिशा-निर्देशों में ई-अपशिष्ट के वैज्ञानिक और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन के लिए उपकरणों, सुविधाओं तथा प्रचालनों/प्रक्रियाओं की आवश्यकताओं का विवरण शामिल है। इसके अतिरिक्त, मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के दृष्टिकोण से, इन दिशा-निर्देशों में संबंधित विभिन्न मापदण्डों के लिए उत्सर्जन के साथ-साथ बहिस्राव मानकों को भी निर्धारित किया गया है। ई-अपशिष्ट के प्रबंधन में शामिल सभी हितधारकों द्वारा इन दिशा-निर्देशों का पालन करना आवश्यक है ताकि देश में उत्पादित ई-अपशिष्ट का प्रबंधन करते समय पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य को कोई नुकसान न होना सुनिश्चित किया जा सके।

(घ) और (ङ) ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 के तहत, अधिसूचित ईईई के उत्पादकों को उपभोक्ताओं तथा थोक उपभोक्ताओं में जागरूकता सृजित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जागरूकता कार्यक्रम में ई-अपशिष्ट के एकत्रीकरण की प्रणाली, ईईई के खतरनाक घटकों तथा 'क्या करें' और 'क्या नहीं करें' के परामर्श सहित ई-अपशिष्ट के उचित प्रबंधन के संबंध में जागरूकता सृजित करना शामिल है। निर्माता, अपनी विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) योजना में, प्रस्तावित जागरूकता योजना का ब्यौरा उपलब्ध कराता है। उक्त नियमों के कार्यान्वयन के संबंध में एक कार्य योजना तैयार की गई है और उसमें ई-अपशिष्ट के एकत्रीकरण की प्रणाली, प्रोत्साहन संरचना और पुनर्चक्रण हेतु सुविधाओं के विषय में आम जनता को शिक्षित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा आईईसी (सूचना, शिक्षा और सम्प्रेषण) कार्यकलाप को सुदृढ़ करना शामिल है। एसपीसीबी/पीसीसी से अपेक्षित है कि उपभोक्ताओं और थोक उपभोक्ताओं सहित विभिन्न हितधारकों के बीच जागरूकता कार्यक्रम संचालित करे।

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, उन्होंने असंगठित सेक्टर द्वारा ई-अपशिष्ट के पुनर्चक्रण के जोखिमों के विषय में लोगों में जागरूकता पैदा करने तथा उन्हें अपने ई-अपशिष्ट के निपटान की वैकल्पिक पद्धतियों के विषय में शिक्षित करने हेतु मार्च 2015 से मार्च 2020 के दौरान ''इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट के पर्यावरणीय जोखिमों के संबंध में जागरूकता कार्यक्रम'' संचालित किया था। इस कार्यक्रम को कुल 31 अभिज्ञात राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित किया गया है।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत, विभिन्न शहरों में लगभग 1923 कार्यशालाएं एवं गतिविधियां आयोजित की गईं और उनमें स्कूलों, कॉलेजों, आरडब्ल्यूए, विनिर्माताओं, अनौपचारिक संचालकों, थोक उपभोक्ताओं, विक्रेताओं और नवीकरणकर्ताओं आदि से लगभग 13,27,420 प्रतिभागियों तथा 5789 सरकारी कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। इसके अलावा, 1247 हरित ई-चैम्पियनों/प्रशिक्षकों को भी प्रशिक्षित किया गया है। देश के युवाओं में सामूहिक जागरूकता सृजित की गई है और 2813 सिनेमा हॉलों को शामिल करके लगभग 21.7 करोड़ दर्शकों में जागरूकता सृजित की गई है। इस कार्यक्रम में समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए प्रशिक्षण उपकरण, विषय-वस्तु सामग्री, फिल्म, मुद्रित सामग्री, वीडियो और जिंगल आदि तैयार किए गए हैं, जो इस प्रयोजन से निर्मित वेबसाइट (www.greene.gov.in) पर मुफ्त उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त, दीक्षा प्लेटफार्म, जो 7 से 9 कक्षा के छात्रों के लिए उपयुक्त है, के लिए ऑनलाइन विषय-वस्तु को भी तैयार किया गया है और शिक्षकों द्वारा उसका उपयोग किया जा रहा है।

*****